Section 19: Transitional provisions relating to job work

(1) Where any inputs received at a place of business had been desptached as such or desptached after being partially processed to a job worker for further processing, testing, repair, reconditioning or any other purpose in accordance with the provisions of existing law prior to the appointed day and such inputs are returned to the said place on or after the appointed day, no tax shall be payable if such inputs, after completion of the job work or otherwise, are returned to the said place within six months from the appointed day:

Provided that the period of six months may, on sufficient cause being shown, be extended by the Commissioner for a further period not exceeding two months:

Provided further that if such inputs are not returned within a period of six months or the extended period from the appointed day, the input tax credit shall be liable to be recovered in accordance with the provisions of clause (a) of sub-section (8) of section 142 of the Central Goods and Services Tax Act.

(2) Where any semi-finished goods had been despatched from any place of business to any other premises for carrying out certain manufacturing processes in accordance with the provisions of existing law prior to the appointed day and such goods (hereinafter in this section referred to as "the said goods") are returned to the said place on or after the appointed day, no tax shall be payable if the said goods, after undergoing manufacturing processes or otherwise, are returned to the said place within six months from the appointed day:

Provided that the period of six months may, on sufficient cause being shown, be extended by the Commissioner for a further period not exceeding two months:

Provided further that if the said goods are not returned within a period specified in this sub-section, the input tax credit shall be liable to be recovered in accordance with the provisions of clause (a) of sub-section (8) of section 142 of the Central Goods and Services Tax Act:

Provided also that the person despatching the goods may, in accordance with the provisions of the existing law, transfer the said goods to the premises of any registered person for the purpose of supplying therefrom on payment of tax in India or without payment of tax for exports within six months or the extended period, as the case may be, from the appointed day.

(3) Where any goods had been despatched from the place of business without payment of tax for carrying out tests or any other process to any other premises, whether registered or not, in accordance with the provisions of existing law prior to the appointed day and such goods are returned to the said place of business on or after the appointed day, no tax shall be

Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017

payable if the said goods, after undergoing tests or any other process, are returned to such place within six months from the appointed day:

Provided that the period of six months may, on sufficient cause being shown, be extended by the Commissioner for a further period not exceeding two months:

Provided further that if the said goods are not returned within the period specified in this sub-section, the input tax credit shall be liable to be recovered in accordance with the provisions of clause (a) of sub-section (8) of section 142 of the Central Goods and Services Tax Act:

Provided also that the person despatching the goods may, in accordance with the provisions of the existing law, transfer the said goods from the said other premises on payment of tax in India or without payment of tax for exports within six months or the extended period, as the case may be, from the appointed day.

(4) The tax under sub-sections (1), (2) and (3) shall not be payable only if the person despatching the goods and the job worker declare the details of the inputs or goods held in stock by the job worker on behalf of the said person on the appointed day in such form and manner and within such time as may be prescribed.

संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017

धारा 19: छुटपुट कार्य के संबंध में संक्रमणकालीन उपबंध

(1) जहां नियत दिन के पूर्व विद्यमान विधि के उपबंधों के अनुसार कारबार के स्थान पर प्राप्त किसी इनपुट को किसी छुटपुट कार्य करने वाले कर्मकार को उसी रूप में या भागतः प्रसंस्कृत करने के पश्चात् और प्रसंस्करण परीक्षण, पुनर्नुकूलन या किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्रेषित किया गया था और ऐसे इनपुट उक्त स्थान पर नियत दिन को या उसके पश्चात् लौटा दिए जाते हैं, वहां कोई कर संदेय नहीं होगा यदि ऐसे इनपुटों को छुटपुट कार्य पूरा होने के पश्चात् या अन्यथा नियत दिन से छह मास की अविध के भीतर उक्त स्थान पर लौटा दिया जाता है:

परन्तु आयुक्त द्वारा छह मास की अवधि को दर्शित किए गए पर्याप्त कारण के आधार पर दो मास से अनिधक की और अवधि के लिए बढाया जा सकेगा :

परन्तु यह और कि यदि ऐसे इपनुटों को नियत दिन से छह मास की अवधि के भीतर या विस्तारित अवधि के भीतर वापस नहीं लौटाया जाता है तो इनपुट कर प्रत्यय, केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 142 की उपधारा (8) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार वसूल किए जाने के दायित्व के अधीन होगा।

(2) जहां किसी अर्धनिर्मित माल को कारबार के किस स्थान से नियत दिन से पूर्व विद्यमान विधि के उपबन्धों के अनुसार कतिपय विनिर्माण प्रक्रियाएं करने के लिए किसी अन्य परिसर को प्रेषित किया गया था और ऐसा माल (जिसे इसके पश्चात् इस धारा में "उक्त माल" कहा गया है) नियत दिन को या उसके पश्चात् उक्त स्थान को लौटा दिया जाता है, वहां कोई कर संदेय नहीं होगा यदि उक्त माल विनिर्माण प्रक्रियाएं करने के पश्चात् या अन्यथा नियत दिन से छह मास के भीतर उक्त स्थान को लौटा दिया जाता है

परन्तु आयुक्त द्वारा छह मास की अवधि को दर्शित किए गए पर्याप्त कारणों के आधार पर दो मास से अनिधक की और अवधि के लिए बढाया जा सकेगा :

परन्तु यह और कि यदि इस उपधारा में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उक्त माल वापस नहीं लौटाया जाता है तो इनपुट कर प्रत्यय केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 142 की उपधारा (8) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार वसूल किए जाने के दायित्व के अधीन होगा:

परन्तु यह भी कि विद्यमान विधि के उपबंधों के अनुसार, माल प्रेषित करने वाला व्यक्ति, उक्त माल का अंतरण किसी रिजस्ट्रीकृत व्यक्ति के परिसर को, नियत दिन से, यथास्थिति, छह मास या बढ़ाई गई अविध के भीतर, निर्यात के लिए, भारत में कर का संदाय करके या कर का संदाय किए बिना वहां से प्रदाय करने के प्रयोजन के लिए कर सकेगा।

(3) जहां माल को, नियत दिन से पूर्व विद्यमान विधि के उपबन्धों के अनुसार कर का संदाय किए बिना कारबार के स्थान से परीक्षण या कोई अन्य प्रक्रिया करने के लिए किसी अन्य परिसर को, चाहे वह रजिस्ट्रीकृत हो या नहीं, प्रेषित किया गया था और ऐसा माल नियत दिन को या उसके पश्चात् कारबार के उक्त स्थान को लौटा दिया जाता है, वहां कोई कर संदेय नहीं होगा यदि उक्त माल परीक्षण या कोई अन्य प्रक्रिया करने के पश्चात् नियत दिन से छह मास के भीतर ऐसे स्थान को लौटा दिया जाता है:

परन्तु आयुक्त द्वारा छह मास की अवधि को दर्शित किए गए पर्याप्त कारणों के आधार पर दो मास से अनिधक की और अवधि के लिए बढ़ाया जा सकेगा:

परन्तु यह और कि यदि उक्त माल इस उपधारा में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर वापस नहीं लौटाया जाता है तो इनपुट कर प्रत्यय केन्द्रीय माल और सेवा कर अधिनियम की धारा 142 की उपधारा (8) के खंड (क) के उपबंधों के अनुसार वसूल किए जाने के दायित्व के अधीन होगा:

संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017

परन्तु यह भी विद्यमान विधि के उपबन्धों के अनुसार, माल प्रेषित करने वाला व्यक्ति, उक्त माल का, नियत दिन से, यथास्थिति, छह मास या बढ़ाई गई अविध के भीतर, निर्यात के लिए, भारत में कर का संदाय करके या कर का संदाय किए बिना उक्त अन्य परिसर से अंतरण कर सकेगा।

(4) उपधारा (1), उपधारा (2) और उपधारा (3) के अधीन कर केवल तब संदेय नहीं होगा यिद माल प्रेषित करने वाला व्यक्ति और छुटपुट कार्य करने वाला कर्मकार, ऐसे प्ररूप और रीति में तथा ऐसे समय के भीतर जो विहित किया जाए, नियत दिन को उक्त व्यक्ति की ओर से छुटपुट कार्य करने वाले कर्मकार द्वारा स्टाक में धारित इनपुट या माल के ब्यौरों की घोषणा कर देता है।